तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा

श्रावस्ती। गंभीर मामलों के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कनविक्शन अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत गुरुवार को न्यायालय की ओर से जान माल की धमकी देने के दो दोषियों को तीन-तीन वर्ष कठार कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही दोनों दोषियों को अर्थदंड से भी दंडित किया गया।

इकौना थाने में 31 जून 2010 में ग्राम बनकटी निवासी जिबराखन पुत्र छल्लाज व मोहम्मद शमी पुत्र गनी के विरुद्ध जमीनी रंजिश को लेकर डण्डे से पीटने, जान-माल की धमकी व जातिसूचक गाली देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना की और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। गुरुवार को न्यायालय ने दोनों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक को सात-सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन, शासकीय अधिवक्ता तथा कोर्ट पैरोकार की ओर से पैरवी की जा रही थी।